



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 345]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 4, 2017/वैशाख 14, 1939

No. 345]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 4, 2017/VAISAKHA 14, 1939

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2017

**सा.का.नि. 435(अ).**—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 22 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, यह विचार रखते हुए कि ऐसा किया जाना जनहित के लिए आवश्यक और समयोचित है, सऊदी अरब में रहने वाले भारतीयों, जिनके पास कोई यात्रा दस्तावेज़ नहीं है, को उक्त अधिनियम की धारा 5, पासपोर्ट नियम 1980 के नियम 8 के साथ सहपठित, के प्रावधानों से, जहाँ तक कि इन प्रावधानों का संबंध भारत तक की एक बार यात्रा करने हेतु आपाती प्रमाणपत्र जारीकरण के लिए शुल्क के भुगतान से है, निम्न शर्तों के अंतर्गत एतद्वारा छूट प्रदान करती है:-

- (i) आपाती प्रमाणपत्र शुल्क की माफी केवल उन आपाती प्रमाणपत्र आवेदनों पर लागू होगी जो सऊदी अरब सरकार द्वारा उद्धोषित की गई छूट की अवधि के दौरान आवेदित किए गए होंगे।
- (ii) आपाती प्रमाणपत्र शुल्क भुगतान की छूट का लाभ उठाने के इच्छुक आवेदकों को इस सुविधा का लाभ लेने की इच्छा को दर्शित करने वाला एक अतिरिक्त आवेदन जमा करना होगा।
- (iii) इस अधिसूचना में अन्यथा उपबंधित होने के सिवाय, उपरोक्त सुविधा के लागू रहने के दौरान आपाती प्रमाणपत्र जारी किए जाते समय पासपोर्ट अधिनियम, पासपोर्ट नियम और पासपोर्ट मैनुअल के सभी उपयुक्त प्रावधान लागू होंगे।

[फा. सं. VI/401/22/2002]

अरुण कुमार चटर्जी, संयुक्त सचिव (पी.एस.पी.) एवं मुख्य पासपोर्ट अधिकारी

**MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th May, 2017

**G.S.R. 435(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 22 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government, being of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby exempts Indians living in Saudi Arabia having no travel documents from the operation of the provisions of section 5 of the said Act, read with rule 8 of the Passports Rules, 1980, in so far as such provisions relate to the payment of fees for issue of emergency Certificate for one time travel to India subject to the following conditions, namely:-

- (i) waiver of emergency Certificate fees shall be applicable only for those emergency Certificates applications made during currency of grace period announced by the Saudi Arabia Government;
- (ii) all applicants desirous to avail this waiver of emergency Certificate fee shall have to submit an additional application indicating their wish to avail the facility;
- (iii) save as otherwise provided in this notification, while issuing emergency Certificate during the operation of the abovesaid facility, all the relevant provisions of Passports Act, Passport Rules and passport Manual shall apply.

[F. No. VI/401/22/2002]

ARUN KUMAR CHATTERJEE, Jt. Secy. (PSP) and Chief Passport Officer